

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या- 749 / ग्यारह-2-2015-9(125)/09
लखनऊ: दिनांक: 04 अगस्त, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश मूल्य सवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम 45 के उपनियम (12-A) के क्लोज (a) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल तात्कालिक प्रभाव से आन लाईन रिटर्न दाखिल करने के लिये किसी कर निर्धारण वर्ष में व्यापारी की सकल टर्नओवर 25 लाख रुपये या उससे अधिक निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सी. डी. कमि. (Law)


कमिशनर
05.68.2015

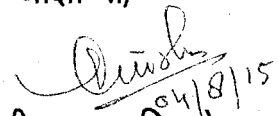
बीरेश कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या- 749 (i)/ ग्यारह-2-2015-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) कमिशनर वाणिज्यकर, उ0प्र0, लखनऊ ।
- (2) समस्त एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-1/2, वाणिज्यकर, उ0प्र0 शासन द्वारा कमिशनर वाणिज्यकर ।
- (3) समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमिशनर/असिस्टेंट कमिशनर/वाणिज्यकर अधिकारी, वाणिज्यकर, उ0प्र0 द्वारा कमिशनर वाणिज्यकर।
- (4) संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि साधारण गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर इसकी 50 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- (5) सार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(गिरीश चन्द्र मिश्र)
संयुक्त सचिव।